



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड



(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली-110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

के.मा.शि.बो./शै./सं.नि.(पी.एम.एस.)/2016

दिनांक : 12 जनवरी, 2016

परिपत्र संख्या. शैक्षणिक-4/2016

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय: मेरे सपनों का भारत (इण्डिया ऑफ़ माई ड्रीम) पर अभिव्यक्ति शृंखला

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

आज के नवयुवक के इस देश के लिए कई सपने हैं जो सुनने लायक हैं। उनके सपनों के संसार में भ्रमण करना अति महत्वपूर्ण होगा। 12 जनवरी, 2016 और 23 जनवरी 2016 के मध्य का कालखंड जो कि क्रमशः स्वामी विवेकानन्द और सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन हैं, को इस देश के बच्चों को भारत के लिए अपने सपनों में भागीदार बनने के लिए, आधार प्रदान करने हेतु चुना गया है।

अतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने **मेरे सपनों का भारत (India My Dreams) पर अभिव्यक्ति शृंखला** आयोजित करने का निर्णय लिया है। विवरण निम्न प्रकार से है:

1. **लक्ष्य वर्ग:** आयु 6 से 18 वर्ष कक्षा I से XII तक
2. **दिनांक और स्थान:** 12 जनवरी, 2016 और 23 जनवरी 2016 के मध्य स्कूल के परिसर स्थल पर आयोजित की जानी है, ताकि बच्चों के मूल और वास्तविक विचार उभर सकें।
3. **विषय:** मेरे सपनों का भारत (India of My Dreams)
4. **अभिव्यक्ति का माध्यम:**
 - 4.1 विद्यालय अपने विद्यार्थियों को अपने सपनों को निम्न प्रकार से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे:
 - नारा लेखन
 - रचना/निबन्ध लिखना (250 शब्द कक्षा I से VIII और 500 शब्द कक्षा IX से XII तक)
 - कविता लेखन
 - पोस्टर/चित्रकला
 - प्रहसन/नाटक
 - 4.2 उपरोक्त माध्यमों में से एक या अधिक माध्यम में अपने विचार व्यक्त करने के लिए बच्चे स्वतंत्र होंगे।
 - 4.3 नारे, रचना, निबन्ध और कविता हिंदी अंग्रेजी या अन्य किसी भी भाषा में लिखी जा सकती है।

5. प्रणाली:

5.1 विद्यालय विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका (संलग्नक I) की फोटो प्रति बाँट सकते हैं।

5.2 यदि उत्तर पुस्तिका प्रयोग में नहीं लाई जा रही है, तो विद्यालय प्रविष्टि की jpeg/jpg/doc फाइल बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। ऐसी फाइल में विद्यार्थी का नाम, पता, संपर्क नम्बर, ई मेल आई डी उपलब्ध होनी चाहिए।

6. **प्रस्तुतीकरण:** गतिविधि को पूरा करने के पश्चात् विद्यालय www.cbseacademic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन लिंक (संलग्नक-II का अवलोकन करें) से प्रविष्टियों को 25 से 30 जनवरी, 2016 तक अपलोड कर सकते हैं।

सभी प्रविष्टियाँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएँगी और विश्लेषण उपरांत बारंबार प्रयुक्त विचारों को विश्लेषण पुस्तिका में संकलन किया जाएगा। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप 011-23215130 या ई-मेल praggyasingh.cbse@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

सादर

हस्ताक्षरित/-

डॉ. प्रज्ञा एम. सिंह

सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

- 1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शाहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 अपर महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
- 11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना), एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट ए पी एस), दिल्ली कैट-110010.
- 12 सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु
- 13 एसोसिएट प्रोफेसर/अपर निदेशक/प्रभारी/अनुसंधान एवं नवाचार, शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.
- 14 संयुक्त सचिव/प्रभारी/शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध, के.मा.शि.बो.)
- 15 सभी एसोसिएट प्रोफेसर और अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 16 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
- 17 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 19 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
- 20 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
- 21 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 22 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 23 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 24 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 25 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के के निजी सचिव
- 26 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 27 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक

